राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 209 दिसम्बर 2016

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यावहारिक कदम उठाते हुए गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति अधिनियम (एमटीपीए) में संशोधन करने की सिफारिशें की हैं और कहा है कि किसी भी महिला को, चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित, गर्भपात कराने का विकल्प दिया जाना चाहिए। "गर्भ-निरोधक उपाय के असफल रहने" और "गैर-योजना गर्भाधान" को सभी महिलाओं के मामले में गर्भपात के लिए वैध कारण माना जाएगा। इस समय एमटीपीए में गर्भपात के लिए ये दो कारण केवल विवाहित महिलाओं के मामले में लागू होते हैं।

इस समय, भारत में प्रतिवर्ष लगभग सात मिलियन गर्भपात कराए जाते हैं, जिसमें से केवल 50 प्रतिशत सुरक्षित रहते हैं। गर्भपात कराने वाली लगभग 8 प्रतिशत महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात कराने से अथवा गर्भाधान की समाप्ति के लिए झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाने से उत्पन्न जटिलताओं के कारण मौतें हो जाती हैं।

चर्चा में — गर्भपात कराने का अधिकार

यह बात स्वीकार योग्य है कि प्रजनन स्वास्थ्य के बिना मातृत्व स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्रजनन स्वास्थ्य में महिलाओं का यह निर्णय लेने का अधिकार शामिल हैं कि क्या अनचाहे बच्चे को जन्म देना चाहिए। इस तरह से गर्भपात कराने का अधिकार महिला बराबरी और महिला न्याय का एक महत्वपूर्ण भाग है।

गर्भपात से संबंधित कानून का दायरा बढ़ने के साथ गर्भपात की वैध सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाने का समय आ गया है क्योंकि अनेक मस्तिष्क संबंधी असामान्यताएं 20 सप्ताह के बाद दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की संख्या में भयावह वृद्धि के कारण, विशेषकर यौन अपराध जैसे बलात्कार, महिलाओं को यह निर्णय करने का विकल्प दिया जाना चाहिए कि क्या उसके पास अनचाहे बच्चे का लालन-पोषण करने के लिए साधन हैं अथवा वह अपराधी बलात्कारी के बच्चे को जन्म दें।

महत्वपूर्ण निर्णय

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि या तो नाबालिग से अथवा किसी महिला से बलात्कार से उत्पन्न संतान, जोकि वयस्क है, स्पष्ट तौर पर किसी अपराधी के कृत्य का पीड़ित है और इसलिए वह मुआवजे का हकदार है जो उसके/उसकी माता को दिए गए मुआवजे से अलग होगा।
- सरकार ने पासपोर्ट के नियमों को उदार बना दिया हे जिससे अविवाहित माताओं, दत्तक बच्चों अथवा तलाकशुदा आवेदनकर्ताओं के लिए पासपोर्ट प्राप्त करना आसान हो गया है और कागजी कार्यवाही और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का काम कम हो गया है। "इससे एकल माता-पिता अपने बच्चों के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदन कर सकेंगे जहां आवेदनकर्ता के अनुरोध पर पिता अथवा माता के नाम को छापने की आवश्यकता नहीं होगी।" संबंध-विच्छेदित अथवा तलाकशुदा आवेदनकर्ताओं को अपनी पत्नी अथवा पति के नाम का उल्लेख नहीं करना होगा और तलाकशुदा आवेदनकर्ताओं को तलाक डिक्री भी नहीं देनी होगी।
- केरल उच्च न्यायालय ने यह कहकर आईएमएफएल स्टोरस में महिलाओं को रोजगार की अनुमति दी है कि इसके विरुद्ध नियम असंवैधानिक हैं। उसने यह निर्णय दिया है कि ऐसी नीति कानून (अनुच्छेद 14) और महिला आधारित भेदभाव (अनुच्छेद 15) के समक्ष बराबरी के संबंध में सांविधानिक उपबंधों का उल्लंघन है। न्यायालय कोल्लम से सात महिलाओं द्वारा दायर दो याचिकाओं पर विचार कर रहा था जिन्हें राज्य बेववरेज कॉरपोरेशन (बेवको) में रैंक लिस्ट में होने के बावजूद नौकरी नहीं दी गई।

पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ से

आयोग ने 9 नवम्बर, 2016 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत महिला सशक्तिकरण और सामान्यतः महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए और निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को उनके क्षमता निर्माण में लगाने के लिए कार्यवाही आरम्भ की जाएगी ताकि वे राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में लग सकें; शोध कार्य कर सकें; विभिन्न क्षेत्रों में मास्टर ट्रेनर तैयार कर सकें जो बाद में महिलाओं के साथ काम कर सकें।

सुरक्षित नगरों का निर्माण

सामाजिक शोध केन्द्र (सीएसआर) ने सुरक्षित नगरों का निर्माण करने के लिए नई दिल्ली में एक राउंडटेबल कांफ्रेंस आयोजित की। कांफ्रेंस का उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कार्यवाही करने के लिए प्रोग्राम की रूपरेखा बनाने में सहायता देना था ताकि महिला आधारित हिंसा के मामलों में अधिक प्रभावी रूप से कार्यवाही की जा सके और हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए निवारक उपाय विकसित किए जा सकें।

सम्मेलन में बोलती हुई, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने कहा कि अकेली सरकार अथवा पुलिस महिलाओं के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों की समस्या का निराकरण नहीं कर सकती है; जरूरत इस बात की है कि इस काम में समुदायों और सभी संबंधित पक्षों को शामिल किया जाए। श्रीमती रंजना कुमारी, निदेशक सामाजिक शोध केन्द्र ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की बढ़ रही घटनाओं के बारे में बोला। अन्य वक्ताओं में, जिन्होंने अपनी सिफारिशें दी, पुलिस अधिकारी, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता आदि शामिल थे।

सम्मेलन में (बाएं से) श्रीमती रंजना कुमारी, (सबसे दाहिनी ओर) श्रीमती ललिता कुमारमंगलम पैनल की अन्य सदस्यों और प्रतिभागियों के साथ

वन अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सीएफआर लर्निंग एडवोकेसी प्रोसेस द्वारा नई दिल्ली में सामुदायिक वन अधिकारों पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के उपबंधों के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में प्रयासों का समर्थन करने के लिए सीखने और सामूहिक प्रयास करने हेतु राष्ट्रीय पहल का एक भाग है।

महिलाओं के लिए इस अधिनियम का महत्व इसकी क्षमता में है जो हकों के दावे के लिए उन्हें समर्थ बनाता है और निचले स्तर पर योजना बनाने और इन महत्वपूर्ण संसाधनों, जिन पर उनका जीवन और आजीविका निर्भर है, के प्रबंध की प्रक्रिया में लगाए रखता है।

इस अवसर पर बोलती हुई राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ने वन अधिकार अधिनियम के संदर्भ में महिलाओं की चिंताओं पर चर्चा की।

अध्यक्षा सम्मेलन में भाषण करती हुई

क्या आप जानते हैं?

- उच्चतम न्यायालय में केवल एक महिला न्यायाधीश है और उच्च न्यायालयों में 652 न्यायाधीशों में से केवल 69 महिला न्यायाधीश हैं।
- जापान में क्योटो विश्वविद्यालय से शोधकर्ताओं ने यह पाया कि छोटे बच्चों में, जिनकी माताएं गर्भाधान के दौरान धूम्रपान करती थीं, धूम्रपान न करने वली माताओं की तुलना में किडनी क्षति के चिह्न दिखाई देने की अधिक संभावनाएं होती हैं।
- मानव तस्करी के पीड़ितों में बड़ी संख्या लगभग 71 प्रतिशत - महिलाओं और लड़कियों की है और एक तिहाई बच्चे हैं।

एकल महिलाओं के अधिकार

अध्यक्षा एकल महिला फोरम में भाषण करती हुई

राष्ट्रीय एकल महिला फोरम की वार्षिक परामर्शदायी बैठक नई दिल्ली में 17 नवम्बर को हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थीं। राष्ट्रीय फोरम एकल महिलाओं का संगठन है और 1,22,000 एकल महिला सदस्यों - विधवा, पृथक हुई, तलाक शुदा, परित्यक्त, त्यागी गई वृद्ध - जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया और अन्य के मुद्दों और चिन्ताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस बैठक में भारत के 14 राज्यों से लगभग 130 एकल महिला नेता उपस्थित हुई।

उद्घाटन सत्र में पृथक हुई महिलाओं - जो एकल महिलाओं में विशेष रूप से असुरक्षित और अदृश्य श्रेणी है - के मुद्दे पर विशेष रूप से चर्चा हुई। बच्चों वाले और विवाहित परिवार उसका समर्थन नहीं करते हैं और न उसका परिवार के संसाधनों पर सामाजिक रूप से स्वीकृत दावा होता है। उसके पास यह सत्यापित करने के लिए कोई वैध अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत काजगात नहीं होते हैं कि वह 'एकल' है जैसा कि विधवाएं करती हैं। इसका मतलब यह है कि वह सरकार से अपने अथवा अपने आश्रित बच्चों के लिए समर्थन नहीं मांग सकती हैं। फोरम यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है कि पृथक हुई महिलाओं को उनका हक मिले।

जन सुनवाई

● राष्ट्रीय महिला आयोग ने 17-18 दिसम्बर, 2016 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में 'महिला जन सुनवाई' आयोजित की। सदस्या रेखा शर्मा परामर्शदाता वरुण छाबड़ा और जेटीई गीता सिंह के साथ सुनवाई में उपस्थित हुई जिसे जिला पुलिस और जिला विधि सेवा प्राधिकार के साथ सहयोग से आयोजित किया गया था। 70 मामलों में से 60 मामले बंद कर दिए गए और शेष 10 मामलों में सदस्या ने संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को उचित कार्यवाही करने का निदेश दिया।

● आयोग ने 20-21 दिसम्बर, 2016 को पटना में 'महिला जन सुनवाई' आयोजित की। सदस्या सुषमा साहू और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने सुनवाई आयोजित की।

राष्ट्रीय महिला द्वारा हस्तक्षेप

● आयोग को एक महिला कांस्टेबल से उसके वरिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर कथित यौन उत्पीड़न करने की शिकायत प्राप्त हुई है। आयोग ने पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच करने और कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करके 15 दिनों के अंदर की गई कार्यवाही रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। तथापि की गई कार्यवाही की रिपोर्ट न मिलने से सदस्या रेखा शर्मा जेटीई गीता सिंह के साथ नौएडा एसएसपी के कार्यालय गई। चूंकि एसएसपी छुट्टी पर थे, श्रीमती शर्मा ने पुलिस अधीक्षक के साथ शिकायतकर्ता की उपस्थिति में मामले की जांच की। बाद में पुलिस अधीक्षक ने आंतरिक शिकायत समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की। इसमें इंस्पैक्टर के गलत आचरण को स्वीकार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि प्रतिवादी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाएगी।

● आयोग को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा से एक एम.फिल विद्यार्थी से एक प्रोफेसर के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में थी। विश्वविद्यालय से न्याय न मिलने पर शिकायतकर्ता ने पुलिस से शिकायत की, तथापि शिकायतकर्ता ने और यह आरोप लगाया कि पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद पुलिस अभियोग पत्र दायर नहीं कर रही है। सदस्या रेखा शर्मा ने गीता सिंह और नगर पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर शिकायतकर्ता और उसके पिता और भाई की उपस्थिति में मामले की जांच की। सुश्री अंजू तेवतिया, महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी ने स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सदस्या ने मामले के बारे में पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट पर चर्चा की और बाद में कोर्ट में एक अभियोग पत्र दायर किया गया।

● राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा ललिता कुमारमंगलम ने बिहार के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में भागलपुर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अनुरोध किया जिन्होंने जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के सामने महिलाओं से मारपीट की और उनके साथ बदसलूकी की। आयोग ने बिहार पुलिस महानिदेशक को एक नोटिस भेजा और सात दिन में की गई कार्यवाही रिपोर्ट भेजने के लिए कहा।

सदस्यों के दौरे

❖ सदस्या रेखा शर्मा ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के कोटा में आयोजित महिला अधिकारों पर जागरूकता सेमीनार में मुख्य अतिथि थी। सदस्या ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं के समक्ष भाषण दिया और उनसे अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अनुरोध किया। बाद में, उन्होंने उनकी समस्याओं पर चर्चा की। ● सदस्या जन साहस और राष्ट्रीय गरिमा अभियान द्वारा 'सामाजिक और मीडिया समर्थन तक पहुंच की चुनौतियां और बलात्कार और यौन दुराचार की पीड़ितों के लिए न्याय' पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श सत्र पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुई।

सदस्या रेखा शर्मा (मध्य में) शिमला में जन सुनवाई कासंचालन करती हुई। सुश्री गीता सिंह और वरुण छाबड़ा उनकी दाहिनी ओर हैं

❖ सदस्या सुषमा साहू त्रिशूर के पुलिस अकादमी में महिला पुलिस अधिकारियों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम में उपस्थित हुई।

स्वतः संज्ञान में लेना

● राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान में लिया जिसमें यह रिपोर्ट की गई थी कि पुलिस ने असंगत और असंवेदनशील प्रश्न पूछकर एक बलात्कार पीड़िता को प्रताड़ित किया। मामले की जांच करने के लिए सदस्या सुषमा साहू की अध्यक्षता में एडवोकेट सुश्री शुभालक्ष्मी, श्री वी.आर. रमन, अध्यक्षा के निजी सचिव, के साथ एक जांच समिति गठित की गई है।

● आयोग ने दैनिक भास्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट को स्वतः संज्ञान में लिया है जिसमें कहा गया है कि एक नव विवाहित महिला की, जिसने अपने पति के शराब पीने पर आपत्ति की थी, उसके पति द्वारा बेल्ट से बुरी तरह से पिटाई की गई थी। आयोग ने बिहार के भोजपुर जिले के पुलिस अधीक्षक से सात दिनों के अंदर की गई कार्यवाही रिपोर्ट देने के लिए कहा है।

विधि प्रकोष्ठ से

● कार्यस्थल पर यौन प्रताड़ना, 2013 पर एक कानून समीक्षा परामर्श सत्र 28 नवम्बर को मुम्बई में हुआ। सदस्या रेखा शर्मा और वरिष्ठ समन्वयक लीलाबती इसमें उपस्थित हुई।

● केरल महिला पुलिस अधिकारियों के लिए एक क्षमता निर्माण प्रोग्राम 14 से 16 नवम्बर को त्रिशूर के केरल पुलिस अकादमी में आयोजित हुआ और तेलंगाना महिला पुलिस अधिकारियों के लिए इसी तरह का कार्यक्रम 14 से 16 नवम्बर को सीडीटीएस द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा दिसम्बर, 2016 में प्राप्त शिकायतें

महीना	प्राप्त शिकायतें	प्राप्त की गई कार्यवाही रिपोर्ट	बंद शिकायतें
दिसम्बर, 2016	1290	673	908

आयोग ने दिसम्बर, 2016 को 16 मामलों को स्वतः संज्ञान में लिया।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।